

राजेश चड्ढा

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या - 2635-2636/2025)

13 मई 2025

[न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा]

विचारणीय मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए धारा 498 ए, दंड संहिता, 1860 और धारा 4, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखने में गलती की है।

हेडनोट्स

दंड संहिता, 1860 - धारा 498 ए - दहेज निषेध अधिनियम, 1961 - धारा 4 - के तहत दोषसिद्धि - जब पोषणीय न हो:

अवधारित किया गया: "क्रूरता" शब्द का दुरुपयोग किया जा रहा है और विशिष्ट उदाहरणों के बिना इसे सरलता से स्थापित नहीं किया जा सकता है - किसी विशिष्ट तारीख, समय या घटना का उल्लेख किए बिना धारा 498 ए, आईपीसी और 3 और 4, डीपी अधिनियम, 1961 को जोड़ने की प्रवृत्ति, अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती है और शिकायतकर्ता के बयान की व्यवहार्यता पर गंभीर संदेह पैदा करती है - वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता-पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट, बहुविध और धारा 498 ए, आईपीसी और धारा 4, डीपी अधिनियम, 1961 के तहत अपराधों की सीमा को प्रमाणित करने के लिए किसी भी भौतिक विवरण से रहित थे - एक सरसरी या प्रशंसनीय दृष्टिकोण उपरोक्त धाराओं के तहत किसी व्यक्ति के अपराध को निर्धारित करने के लिए निर्णायक सबूत नहीं हो सकता है, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में परिवार के सदस्यों के दुर्भावनापूर्ण आपराधिक अभियोजन को रोकने के लिए - शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर वास्तविक नहीं थी धारा 4, डी.पी. अधिनियम, 1961 - आरोपित आदेश को रद्द किया गया - अपीलकर्ता को बरी किया गया। [पैरा 9, 11, 12, 14, 15]

दंड संहिता, 1860 - धारा 498 ए - दहेज निषेध अधिनियम, 1961 - धारा 3, 4 - अपराधों की सीमा:

अवधारित किया गया: धारा 498 ए के प्रयोजन के लिए 'क्रूरता' का कृत्य, ऐसी प्रकृति के जानबूझकर किए गए आचरण से मेल खाता है, जो महिला के जीवन, अंग और स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा सकता है, जिसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य शामिल है और उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो उसे गैरकानूनी मांगों या असंभव मानकों को पूरा करने के लिए मजबूर करता है - इसके अलावा, डीपी अधिनियम, 1961 की धारा 3

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और 4 के अनुसार दहेज की मांग पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके को संदर्भित करती है – धारा 498 ए, आईपीसी और धारा 3 और 4, डीपी अधिनियम, 1961 के तहत अपराधों की सीमा को पूरा करने के लिए, आरोप अस्पष्ट या हवा में नहीं लगाए जा सकते हैं। [पैरा 8]

न्यायिक अवमूल्यन – दंड संहिता, 1860 – धारा 498 ए – दहेज निषेध अधिनियम, 1961 – धारा 3, 4 – पति के हर रिश्तेदार को दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाने की प्रथा, अवमूल्यन – धारा 498 ए का दुरुपयोग – चर्चा की गई। [पैरा 13, 14]

उद्धृत केस लॉ

दारा लक्ष्मी नारायण एवं अन्य बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य [2024]12 एससीआर 559 : (2025) 3 एससीसी 735 – पर भरोसा किया गया।

भगवान जगन्नाथ मरकड बनाम महाराष्ट्र राज्य [2016] 5 एससीआर 452 : (2016) 10 एससीसी 537; अरुण व्यास एवं अन्य बनाम अनीता व्यास [1999] 3 एससीआर 719 : (1999) 4 एससीसी 690; सुरेन्द्रन बनाम केरल राज्य [2022] 4 एससीआर 675 : (2022) 15 एससीसी 273 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दहेज निषेध अधिनियम, 1961।

महत्वपूर्ण शब्दों की सूची

धारा 498 ए, दंड संहिता, 1860; धारा 3, 4, दहेज निषेध अधिनियम, 1961; क्रूरता; धारा 498 ए, दंड संहिता, 1860 का दुरुपयोग; आरोप अस्पष्ट; सर्वव्यापी; किसी भी भौतिक विवरण से रहित; परिवार के सदस्यों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आपराधिक मुकदमा; वैवाहिक विवाद; दहेज; उत्पीड़न का कोई विशेष मामला नहीं; एफआईआर वास्तविक नहीं; पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार; आपराधिक शिकायत में विवरण का अभाव; पति के हर रिश्तेदार को दुर्भावनापूर्ण तरीके से शामिल करना; सह-आरोपी सास-ससुर; धारा 323, दंड संहिता, 1860 धारा 34 और धारा 506 के साथ पढ़ें; चोट; अन्याय; आपराधिक धमकी।

निम्न सन्दर्भ से उत्पन्न वाद

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2635-2636/2025
सीआरआर संख्या 612/2004 और सीआरएमए संख्या 131658/2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय , लखनऊ पीठ के दिनांक 14.11.2018 और 28.11.2018 के निर्णय और आदेश से, क्रमशः

पक्षों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता: सुश्री प्रीतिका द्विवेदी।

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता: शौर्य सहाय, आदित्य कुमार, सुश्री रुचिल राज।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा

1. अनुमति दी गई।

2. ये अपीलें विशेष अनुमति द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 612/2004 में पारित दिनांक 14.11.2018 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित हैं, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लखनऊ [इसके बाद "सत्र न्यायालय"] द्वारा पारित दिनांक 18.11.2004 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 88/2004 को खारिज कर दिया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (इसके बाद "आईपीसी" और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 [इसके बाद "डीपी अधिनियम, 1961"] के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ [इसके बाद मजिस्ट्रेट] द्वारा पारित दिनांक 28.08.2004 के निर्णय के अनुसार बरकरार रखा गया था। उक्त आदेश दिनांक 14.11.2018 के विरुद्ध रिकॉल आवेदन को खारिज करने वाले दिनांक 28.11.2018 के आदेश को भी इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

3. उक्त अपील थाना महिला पुलिस द्वारा दर्ज मामला अपराध संख्या -60/1999 से उत्पन्न हुई है थाना, लखनऊ में धारा 498 ए, 323, 506 आईपीसी और डी.पी. अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत शिकायतकर्ता पत्नी द्वारा 20.12.1999 को दायर की गई शिकायत के आधार पर अपीलकर्ता पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ पर्याप्त दहेज न लाने के लिए मानसिक और शारीरिक यातना देने का आरोप लगाया गया था। संक्षेप में तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है:

3.1 अपीलकर्ता का विवाह शिकायतकर्ता सुश्री माला चड्ढा के साथ 12.02.1997 को हुआ था। अपीलकर्ता 08.09.1998 से 20.09.1998 तक केवल 12 दिनों की अवधि के लिए शिकायतकर्ता पत्नी के अलग रहा।

3.2 शिकायतकर्ता जो अपनी शादी से पहले सेंट थॉमस स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी, उसने कथित तौर पर अपीलकर्ता पति की सलाह पर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था; और उसके परिवार ने शादी पर 5 लाख रुपये से अधिक खर्च किए थे। हालाँकि, अपीलकर्ता, उसके ससुराल वाले और देवर (जेठ) लगातार नाखुश और असंतुष्ट थे, और उसे लगातार ताने देते थे, और उस पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करते थे। यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता के पति और उसके ससुराल वालों ने शिकायतकर्ता को कुछ मादक/मादक पदार्थों के साथ दूध पीने के लिए मजबूर किया और उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में जाने के लिए मजबूर किया, जहाँ शराब परोसी जाती थी और अगर शिकायतकर्ता ने इनकार कर दिया, तो अपीलकर्ता और उसका परिवार उसे अपमानित करने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लगा। कथित तौर पर, माता-पिता के ससुराल वालों ने अपीलकर्ता के साथ साजिश में, उसे मारने की योजना बनाई थी और उसे वैवाहिक घर से अलग एक सुरक्षित घर में रखा था, जिसकी चाबियाँ सास-ससुर के पास थीं। 23.09.1998 को, जब शिकायतकर्ता के पिता को वैवाहिक घर में आमंत्रित किया गया था, अपीलकर्ता और उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसके पिता के सामने शिकायतकर्ता पर लात और घूंसे से हमला किया था। अपीलकर्ता और उसके परिवार ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को निकाल दिया, जबकि वह गर्भवती थी। इसके बाद, 10.02.1998 को, अपीलकर्ता और उसके परिवार ने उसे घर से बाहर निकालते हुए कथित तौर पर उसे जोर से धक्का दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गई और चोट के कारण उसका गर्भपात हो गया। एफआईआर में शिकायतकर्ता का मामला यह है कि उसने 16.12.1999 तक परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से प्रयासों सहित सुलह के लिए कई अनुरोध किए, लेकिन यह व्यर्थ रहा, और परिणामस्वरूप उसने अपीलकर्ता और उसके परिवार के खिलाफ 20.12.1999 को शिकायत दर्ज की।

3.3 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "सीआरपीसी") की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में, शिकायतकर्ता ने एफआईआर में आरोपों को दोहराया और पहली बार कहा कि उसे अपीलकर्ता और उसके परिवार द्वारा सेंट फिदेलिस स्कूल, अलीगंज, लखनऊ में नौकरी करने के लिए मजबूर किया गया था और ससुराल वाले उसका पूरे महीने का वेतन छीन लेते थे, जो उस समय केवल 4,000/- रुपये था। 23.09.1998 को, जब अपीलकर्ता ने 2 लाख रुपये की मांग की, और उसके माता-पिता पैसे का इंतजाम करने में असमर्थ थे, तो अपीलकर्ता और ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की। शिकायतकर्ता का दावा है कि जुलाई 1997 में अपने वैवाहिक घर से निकलते समय वह अपने साथ केवल चार सोने की चूड़ियाँ और एक अंगूठी ले गई थी और बाकी सभी आभूषण और सामान अपीलकर्ता या उसके परिवार के पास थे।

3.4 शिकायतकर्ता और उसके पिता की क्रमशः पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के रूप में जांच की गई। पीडब्लू-2 ने पीडब्लू-1 की गवाही का पूरा समर्थन किया है और दोनों बयानों में ससुराल वालों द्वारा दहेज के रूप में 2 लाख रुपये की मांग और उस पर मानसिक और शारीरिक अत्याचारों का आरोप लगातार बना हुआ है। हालांकि, दोनों गवाह चोट या शारीरिक हमले के आरोपों की पुष्टि नहीं कर सके। विचारण न्यायालय ने 28.08.2004 के अपने फैसले में, दोनों गवाहों की गवाही और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर उचित रूप से विचार करने के बाद, पाया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे, धारा 323 और 34 आईपीसी के तहत अपराध साबित करने में विफल रहा, और निम्नलिखित राय दी:

"अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों तथ्य गवाहों ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा शारीरिक हमले के परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता को कोई साधारण चोट पहुंची थी। भले ही यह माना जाता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की है, मुझे लगता है कि अगर शिकायतकर्ता पर सभी आरोपी व्यक्तियों द्वारा लात-घूंसे से शारीरिक हमला किया गया होता, तो भी उसे गंभीर चोटें आई होतीं और ऐसी स्थिति में, मेरी राय है कि शिकायतकर्ता की मेडिकल जांच की जानी चाहिए ताकि यह साबित हो सके कि उसे आरोपी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

व्यक्तियों द्वारा हमले के कारण चोटें आई हैं, लेकिन रिकॉर्ड के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष ऐसा कोई सबूत पेश करने का प्रयास नहीं किया। चूंकि शिकायतकर्ता की चोटों के संबंध में कोई मेडिकल प्रमाण पत्र/चोट रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। इस संदर्भ में, शिकायतकर्ता का साक्ष्य ही चोटों के संबंध में एकमात्र मजबूत साक्ष्य है, क्योंकि उस पर आरोपियों द्वारा शारीरिक हमला किया गया था, लेकिन गवाह की गवाही के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने बयान में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि आरोपियों द्वारा किए गए शारीरिक हमले के कारण उसके शरीर के ऐसे-ऐसे हिस्से पर चोटें आई हैं।

इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने आगे कहा है कि आरोपियों द्वारा किए गए शारीरिक हमले के कारण शिकायतकर्ता का गर्भपात हो गया था। मेरी राय में, यदि ऐसी कोई घटना वास्तव में हुई थी, तो शिकायतकर्ता को अपनी मेडिकल जांच करवानी चाहिए थी ताकि यह साबित हो सके कि गर्भपात आरोपियों द्वारा किए गए शारीरिक हमले के कारण हुआ था, क्योंकि गर्भपात सामान्य/सामान्य घटनाओं का क्रम नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने गर्भपात के संबंध में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। इसलिए, शारीरिक हमले के कारण गर्भपात का आरोप मनगढ़ंत कहानी साबित होता है। उपरोक्त चर्चा के आधार पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता पर शारीरिक हमले और उसके परिणामस्वरूप साधारण चोट पहुंचाने के आरोप को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।”

3.5 विचारण न्यायालय ने 28.08.2004 के अपने फैसले में पाया कि हालांकि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता और सह-आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 323 आर/डब्ल्यू 34 और धारा 506 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए अपना मामला साबित करने में विफल रहा है; इसने उचित संदेह से परे साबित कर दिया है कि अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 498 ए आईपीसी और डी.पी. अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत मामला बनता है। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 323 आर/डब्ल्यू 34 और धारा 506 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए बरी कर दिया और उसे धारा 498 ए आईपीसी और डी.पी. अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया। तदनुसार, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को निम्नानुसार सजा सुनाई:

धारा के तहत अपराध	सजा की मात्रा	आरोपित जुर्माना
498 ए आईपीसी, 1860	2 वर्ष आरआई	5000/- रुपये
4 डीपी अधिनियम	1 वर्ष आरआई	2000/- रुपये

3.6 मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 28.08.2024 के निर्णय के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील संख्या 88/2024 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने दिनांक 18.11.2004 के निर्णय/अंतिम आदेश के तहत खारिज कर दिया और आईपीसी की धारा 498 ए और डीपी

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि और अपीलकर्ता के लिए सजा की मात्रा को बरकरार रखा।

3.7 अपीलकर्ता ने दिनांक 18.11.2004 के निर्णय/अंतिम आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 612/2004 प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 14.11.2018 के आक्षेपित निर्णय और अंतिम आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों के अंतर्गत, आईपीसी की धारा 498 ए और डी.पी. अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत अपीलकर्ता की सजा को इस टिप्पणी के साथ बरकरार रखा कि निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों में कोई कानूनी त्रुटि या विकृति नहीं थी। उक्त अंश को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"मैंने नीचे के विद्वान न्यायालयों द्वारा पारित दिनांक 18.11.2004 और 28.08.2004 के निर्णय और आदेशों का अवलोकन किया है। नीचे के विद्वान न्यायालयों ने मामले के सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया है और मुझे उपरोक्त आक्षेपित निर्णय और आदेशों में कोई कानूनी त्रुटि या विकृति नहीं मिली है। तत्काल संशोधन में मेरिट का अभाव है, और इसे खारिज किया जाना चाहिए।"

3.8 इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.11.2018 के आदेश के अनुसार, आक्षेपित आदेश दिनांक 14.11.2018 को वापस लेने की मांग करने वाले आवेदन को भी कानून में गलत होने के कारण शुरू में ही खारिज कर दिया गया था।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बलपूर्वक तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14.11.2018 के आक्षेपित निर्णय में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है तथा मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि धारा 498 ए आईपीसी तथा डी.पी. अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत लगाए गए आरोप अपीलकर्ता के लिए पोषणीय नहीं हैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, तथा पूरा मामला शिकायतकर्ता के पिता तथा स्वयं शिकायतकर्ता के बयान पर टिका हुआ है। यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता, जो अपीलकर्ता के साथ लगभग एक वर्ष की अवधि के लिए ही सहवास करती थी, ने अपराध संख्या 60/1999 में दर्ज एफआईआर में बिना किसी तिथि, समय या घटना के स्पष्ट आरोप लगाए थे, जिसे अपीलकर्ता द्वारा दायर तलाक याचिका के जवाब में दर्ज किया गया है। यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि उनकी शादी के बदले में तलाक की डिक्री पहले ही पारित हो चुकी है, और इसे शिकायतकर्ता द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई है, और इसलिए यह अंतिम हो गई है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता के प्रतिनिधित्व के अभाव में आक्षेपित आदेश पारित किया, जो स्वीकार्य नहीं है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय अपीलकर्ता के खिलाफ एक प्रतिकूल आदेश पारित करने के बजाय, अपीलकर्ता के मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक एमिक्स-क्यूरी नियुक्त कर सकता था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि धारा 498 ए की सीमा के भीतर क्रूरता स्थापित करने के लिए, शिकायतकर्ता पत्नी के रिश्तेदारों के साक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिकायतकर्ता के पिता के बयान से यह साबित होता है कि शिकायतकर्ता को बार-बार परेशान किया गया और पर्याप्त दहेज न लाने के कारण उसके साथ मारपीट की गई। **भगवान जगन्नाथ मरकड बनाम महाराष्ट्र राज्य, अरुण व्यास और अन्य बनाम अनीता व्यास, सुरेंद्रन बनाम केरल राज्य** पर भरोसा किया गया।

विश्लेषण

7. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, यह प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.11.2018 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, धारा 498 ए आईपीसी तथा धारा 4 डी.पी. अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सही किया था। इस संबंध में, वैधानिक प्रावधानों की जांच करना विवेकपूर्ण है, जो इस प्रकार हैं:

“498 ए. किसी महिला के पति या पति के संबंधी द्वारा उस पर क्रूरता करना।— जो कोई भी, किसी महिला का पति या पति का संबंधी होते हुए, ऐसी महिला पर क्रूरता करता है, उसे तीन वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा तथा जुर्माना भी देना होगा। स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजन के लिए, “क्रूरता” का अर्थ है— (क) कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो अथवा उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरा हो। (चाहे महिला की मानसिक या शारीरिक); या (ख) महिला को परेशान करना, जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी रिश्तेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से हो या उसके या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण हो।”

3. दहेज देने या लेने के लिए दंड – (1) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, दहेज देता है या लेता है या देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह कम से कम पांच वर्ष की अवधि के कारावास और कम से कम पंद्रह हजार रुपए या ऐसे दहेज के मूल्य की राशि, जो भी अधिक हो, से दंडनीय होगा। बशर्ते कि न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में दर्ज किए जाएंगे, पांच वर्ष से कम अवधि के कारावास की सजा दे सकता है। **(2)** उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित पर या इनके संबंध में लागू नहीं होगी, – (क) वे उपहार जो विवाह के समय दुल्हन को उस निमित्त कोई मांग किए बिना दिए जाते हैं: बशर्ते कि ऐसे उपहार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज किए जाते हैं; (ख) वे उपहार जो विवाह के समय दूल्हे को उस निमित्त कोई मांग किए बिना दिए जाते हैं: बशर्ते कि ऐसे उपहार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज किए जाते हैं: आगे यह भी प्रावधान है कि जहां ऐसे उपहार दुल्हन द्वारा या उसकी ओर से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

या दुल्हन से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं, ऐसे उपहार रूढ़िगत प्रकृति के होते हैं और उनका मूल्य उस व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक नहीं होता है जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसे उपहार दिए जाते हैं।

4. दहेज मांगने पर दंड- यदि कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दुल्हन या दूल्हे के माता-पिता या अन्य रिश्तेदारों या संरक्षक से, जैसा भी मामला हो, कोई दहेज मांगता है, तो उसे कम से कम छह महीने की अवधि के कारावास से, लेकिन जो दो साल तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा: बशर्ते कि न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से, छह महीने से कम अवधि के कारावास की सजा दे सकता है।

8. सबसे पहले, धारा 498 ए के उद्देश्य के लिए 'क्रूरता' का कृत्य ऐसी प्रकृति के जानबूझकर किए गए आचरण से मेल खाता है, जो महिला के जीवन, अंग और स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा सकता है, जिसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और उसे होने वाला उत्पीड़न शामिल है, जो उसे गैरकानूनी मांगों या असंभव मानकों को पूरा करने के लिए मजबूर करके किया जाता है। इसके अलावा, डी.पी. अधिनियम, 1961 की धारा 3 और धारा 4 के अनुसार दहेज की मांग पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके को संदर्भित करती है। धारा 498 ए आईपीसी और डी.पी. अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों की सीमा को पूरा करने के लिए, आरोप अस्पष्ट या हवा में नहीं लगाए जा सकते हैं।

9. वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट, बहुविकल्पीय और इस सीमा को प्रमाणित करने के लिए किसी भी भौतिक विवरण से रहित हैं। यह दावा करने के अलावा कि अपीलकर्ता पति ने दहेज के अभाव में उसे परेशान किया, शिकायतकर्ता ने कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया है या उत्पीड़न के किसी विशेष उदाहरण का वर्णन नहीं किया है। एफआईआर में आरोप और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से पता चलता है कि कई मौकों पर शिकायतकर्ता की पत्नी को वैवाहिक घर से निकाल दिया गया और उसके पिता, पीडब्लू-2 की मौजूदगी में उसे लात और घूंसे मारे गए और उसे बार-बार दहेज की मांगों के साथ सताया गया और जब वह उन्हें पूरा करने में असमर्थ रही, तो अपीलकर्ता और उसके परिवार ने उसे शारीरिक रूप से पीटा; जबकि उसने कथित उत्पीड़न के समय, तारीख, स्थान या तरीके का उल्लेख नहीं किया है। यह आरोप लगाया जाता है कि शिकायतकर्ता को गर्भपात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह गिर गई, जब अपीलकर्ता और उसके परिवार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया; हालांकि, आरोपों को प्रमाणित करने के लिए किसी भी चिकित्सा संस्थान या अस्पताल या नर्सरी से कोई मेडिकल दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

10. अभिलेख पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर, हम पाते हैं कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयानों के अलावा, आईपीसी की धारा 498 ए और डी.पी. अधिनियम, 1961 की धारा 4 के दायरे में उत्पीड़न और क्रूरता के कृत्यों के आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इस कारण से, हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण में योग्यता पाते हैं और हमारा विचार है कि धारा 323 आर/डब्ल्यू 34 और धारा 506 आईपीसी के अनुसार चोट या गर्भपात, और चोट और आपराधिक धमकी के आरोपों को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कोई सामग्री नहीं है। विचारण न्यायालय ने सही ढंग से माना है कि शिकायतकर्ता का साक्ष्य ही एकमात्र मजबूत सबूत है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा शारीरिक हमले के कारण उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोटें आईं, और शिकायतकर्ता द्वारा कोई मेडिकल जांच नहीं कराई गई, जिससे यह साबित हो सके कि गर्भपात शारीरिक हमले का परिणाम था।

11. विचारण न्यायालय ने वास्तव में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर अपना न्यायिक दिमाग लगाया है जबकि अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त माता-पिता को धारा 323 आर/डब्ल्यू 34 और धारा 506 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए बरी कर दिया है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने धारा 498 ए आईपीसी और डी.पी. अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का आदेश केवल इस संभावना पर पारित किया था कि आरोप और पीडब्लू-1 के बयान पीडब्लू2 द्वारा पुष्टि किए गए, सच्चे और सही हैं। हालांकि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि शादी में शिकायतकर्ता ने भावनात्मक या मानसिक यातना झेली होगी, हालांकि एक सरसरी या प्रशंसनीय दृष्टिकोण डी.पी. एक्ट, 1961 की धारा 498 ए और धारा 4 के तहत किसी व्यक्ति के अपराध को निर्धारित करने के लिए निर्णायक सबूत नहीं हो सकता है, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में परिवार के सदस्यों के दुर्भावनापूर्ण आपराधिक मुकदमे को रोकने के लिए। 20.12.1999 को अपीलकर्ता द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत 06.02.1999 को तलाक याचिका दायर करने के बाद मामला दर्ज किया गया था। इस पर विचार करते हुए और इस बात पर कि शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता के साथ केवल एक वर्ष की अवधि के लिए सहवास किया था, ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर वास्तविक नहीं थी।

12. इसके संबंध में, उच्च न्यायालय को अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आलोक में विचारण न्यायालय के फैसले की सत्यता की जांच करनी चाहिए थी, जो अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 498 ए आईपीसी या डी.पी. अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए कुछ भी दोषपूर्ण नहीं बताता है। यद्यपि हम अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण से सहमत नहीं हैं कि 14.11.2018 का आक्षेपित आदेश अनुपस्थिति में पारित किया गया था, तथापि उच्च न्यायालय यह समझने के लिए अपनी पुनरीक्षण शक्तियों के भीतर था कि क्या एक एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही पोषणीय थी। निश्चित रूप से, यह अपीलकर्ता के लिए 6 साल का समय बचा सकता था, जिसने आज तक 20 वर्षों से अधिक समय तक मुकदमेबाजी सहन की है।

13. मामले के गुण-दोष के बावजूद, हम जिस तरह से, धारा 498 ए आईपीसी और डी.पी. की धारा 3 और 4 के तहत अपराध किए गए अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का शिकायतकर्ता पत्नियाँ दुर्भावनापूर्वक उपयोग कर रही हैं, जहाँ तक कि वृद्ध माता-पिता, दूर के रिश्तेदार, अलग-अलग रहने वाली विवाहित बहनों को वैवाहिक मामलों में आरोपी बनाया जाता है। पति के हर रिश्तेदार को शामिल करने की यह बढ़ती प्रवृत्ति, शिकायतकर्ता पत्नी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करती है, और एक सुरक्षात्मक कानून के मूल उद्देश्य को ही नष्ट कर देती है। **दारा लक्ष्मी नारायण और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य** के मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ इस सार को उचित रूप से इस प्रकार प्रस्तुत करती हैं:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“25. वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक मामले में परिवार के सदस्यों के नामों का मात्र उल्लेख, बिना किसी विशिष्ट आरोप के उनकी सक्रिय भागीदारी को शुरू में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। न्यायिक अनुभव से यह एक सर्वविदित तथ्य है कि वैवाहिक कलह से उत्पन्न घरेलू विवाद में अक्सर पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति होती है। ठोस सबूतों या विशिष्ट आरोपों द्वारा समर्थित नहीं किए गए ऐसे सामान्यीकृत और व्यापक आरोप आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकते। न्यायालयों को ऐसे मामलों में कानूनी प्रावधानों और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक रूप से परेशान करने से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता संख्या 2 से 6, जो अपीलकर्ता संख्या 1 के परिवार के सदस्य हैं, अलग-अलग शहरों में रह रहे हैं और वे अपीलकर्ता संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 2 के वैवाहिक घर में नहीं रहे हैं। इसलिए, उन्हें आपराधिक अभियोजन में नहीं घसीटा जा सकता है और उनके खिलाफ लगाए गए उनमें से प्रत्येक विशिष्ट आरोपों की अनुपस्थिति में यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

14. "क्रूरता" शब्द का पक्षकारों द्वारा क्रूर दुरुपयोग किया जाता है, और इसे कम से कम विशिष्ट उदाहरणों के बिना सरलता से स्थापित नहीं किया जा सकता है। किसी भी विशिष्ट तिथि, समय या घटना का उल्लेख किए बिना इन धाराओं को जोड़ने की प्रवृत्ति अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती है, और शिकायतकर्ता के संस्करण की व्यवहार्यता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। हम आपराधिक शिकायत में गुमशुदा विवरणों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो राज्य की आपराधिक मशीनरी को लागू करने का आधार है। जैसा भी हो, हमें सूचित किया जाता है कि अपीलकर्ता का विवाह पहले ही भंग हो चुका है और तलाक का आदेश अंतिम रूप ले चुका है, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ आगे कोई भी मुकदमा चलाना केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के बराबर होगा।

15. तदनुसार हम अपील स्वीकार करते हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 612/2004 में पारित दिनांक 14.11.2018 के आदेश को रद्द करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और डी.पी. अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गया था, तथा अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी किया जाता है।

16. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाता है।

वाद का परिणाम- अपील को अनुमति दी गई।

दिव्या पाण्डेय द्वारा हेडनोट तैयार किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।